न्यायालय सिविल जज जू०डि०मथुरा ।
वाद संख्या 189/2008

01.8.2018

पत्रावली पेश हुई । वादीगण के संशोधन प्रार्थना पत्र 90क पर सुना गया ।

प्रार्थना पत्र 90क वादीगण की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि दौरान वाद वादी संख्या 1 का निधन दिनांक 16.7. 2017 को हो गया है तथा मृतक ने अपने पीछे अपने पुत्र व पुत्री को बतौर वारिस छोड़ा है तथा इसी आधार पर वाद पत्र मे संशोधन की याचना की है।

प्रतिवादी की ओर से उक्त संशोधन प्रार्थना पत्र के विरूद्व कोई लिखित आपत्ति दाखिल नही की है मात्र मौखिक आपत्ति की गयी है।

वादी के द्वारा उक्त संशोधन प्रार्थना पत्र के माध्यम से वादी संख्या 1 की मृत्यु के बाद वादी संख्या 1/1 त ा 1/3 को बतौर वारिस कायम किये जाने की याचना की है जिस पर प्रतिवादी की ओर से मौखिक आपत्ति की गयी है। न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना आवश्यक है।

आदेश

वादीगण का संशोधन प्रार्थना पत्र 90क स्वीकार किया जाता है। वादी वाद पत्र में आवश्यक संशोधन अन्दर सप्ताह करे। वास्ते आपत्ति निस्तारण 6ग पत्रावली दिनांक 06.08.2018 को पेश हो। टी.आई.नियत दिनांक तक प्रभावी रहेगा ।

सिविल जज,जू0डि0,
छाता, मथुरा।